भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1384

12 दिसंबर, 2023 को उत्तर के लिए नियत

इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर राजसहायता

1384. डॉ. राम शंकर कठेरिया:

श्री राम कृपाल यादव:

श्री जनार्दन मिश्र:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आम नागरिकों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए कोई राजसहायता प्रदान की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क) और (ख): जी हाँ। भारी उद्योग मंत्रालय ने देश में वायु प्रदूषण कम करने के लिए कुल 10,000 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता वाली भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण, चरण-II (फेम इंडिया चरण II) स्कीम 1 अप्रैल, 2019 से पांच वर्ष की अवधि के लिए तैयार की है। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों के व्यापक अंगीकरण के लिए भारत सरकार उपभोक्ताओं (खरीदारों/अंत-प्रयोक्ताओं) को हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीद मूल्य में तत्काल छूट देकर आर्थिक प्रोत्साहन/सब्सिडी प्रदान करती है जिसकी प्रतिपूर्ति ओईएम (ईवी विनिर्माताओं) को की जाएगी।

दिनांक 08.12.2023 की स्थिति के अनुसार, फेम इंडिया स्कीम के चरण-II के अंतर्गत 11,75,888 इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री के लिए इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माताओं को 5283 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई है। आर्थिक प्रोत्साहन-प्रदत्त इलेक्ट्रिक वाहनों का श्रेणीवार विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	**पहिया प्रकार**	**वाहनों की कुल संख्या**
1.	दुपहिया वाहन	10,38,724
2.	तिपहिया वाहन	1,22,345
3.	चौपहिया वाहन	14,819
कुल		**11,75,888**

*****